

2

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं / 5310 दिनांक 27/08/2018

कार्यालय आदेश

श्रीमती मोनिका पालीवाल, (महिला) वनरक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द को इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 4582 दिनांक 21.08.2018 द्वारा उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में दिनांक 10.12.2018 से प्रारम्भ किये जा रहे तीन माह का आधारभूत (महिला) वनरक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण दिलवाये जाने के संबंध में नामांकित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रचलित किये जाते हैं।

उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द उक्त (महिला) वनरक्षक को उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें।

एफ 15

(दीपक भटनागर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं / 5311-16 दिनांक 27-8-2018  
प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 4583-4608 दिनांक 21.08.2018

के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर।
3. उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण स्कूल, अलवर को पालनार्थ प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द को उनके पत्र क्रमांक 6940 दिनांक 28.08.2018 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त (महिला) वनरक्षक कर्मचारी को उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तत्काल भारमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्युटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)।
6. रक्षित पत्रावली।

(नरेश चन्द्र शर्मा)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित-प्रस्थापना)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
राजस्थान जयपुर